



दिनांक 22.02.2024

प्रेस विज्ञप्ति 24 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद एटा/थाना मलावन

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर
 - 02 जीवित/खोखा कारतूस 315 बोर
 - भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि
 - 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद

दिनांक 21.02.2024 को थाना मलावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुर्कीपुरा जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1—दुर्वेश 2—तहसीलदार 3—ललित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित/खोखा कारतूस 315 बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद हुईं।

इस सम्बन्ध में थाना मलावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—दुर्वेश निवासी तुर्कीपुरा शाहआलमपुर थाना मलावन जनपद एटा।
- 2—तहसीलदार निवासी नगला नारायण थाना जैथरा जनपद एटा।
- 3—ललित निवासी परौली सुहागपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

- 1—10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर।
- 2—02 जीवित/खोखा कारतूस 315 बोर।
- 3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।
- 4—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

~ 2 ~
जनपद महाराजगंज / थाना सोनौली

● 01 अभियुक्त गिरफतार

- लगभग 05 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 किलो 898 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 22.02.2024 को थाना सोनौली व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्यामकट बाग के पास से अभियुक्त बसन्त को गिरफतार किया गया। गिरफतार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 किलो 898 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सोनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफतार अभियुक्त

1—बसन्त निवासी वार्ड नं0—9 घोराई प्रहरी इलाका नारायणपुर जनपद दांग नेपाल।

बरामदगी

1—लगभग 05 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 किलो 898 ग्राम अवैध चरस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर / थाना सेक्टर-20

● 02 अभियुक्त गिरफतार

- लगभग 22 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 02 किलोग्राम अवैध गांजा

● 02 लग्जरी कार बरामद

दिनांक 22.02.2024 को थाना सेक्टर-20 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विनायक हॉस्पिटल अड्डा अण्डरपास के पास से 02 अभियुक्तों 1—विकास 2—कपिल को गिरफतार किया गया। गिरफतार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 02 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 लग्जरी कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-20 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ब्रह्मपुर इंकलेव सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर कमिशनरेट गाजियाबाद।

2—कपिल निवासी ग्राम चंचलपुर थाना रहौरा जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—लगभग 22 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 02 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—02 लग्जरी कार।

➤ जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 03 लाख 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 328/302 भादवि व 3(2(5) एससी/एसटी एकट एवं धारा 60ए आबकारी एकट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—कन्हैया 2—अतुल 3—छोटू उर्फ नवनीत 4—सुनील 5—शानू 6—विपिन को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 03 लाख 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 40—40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/328/201/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शैलेन्द्र 2—मुलायम 3—रणधीर को आजीवन कारावास व 40—40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)
जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त औचित्य कुमार उर्फ मान को धारा 302 / 34 / 307 / 384 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त रिंकू उर्फ धीरेन्द्र को धारा 302 / 34 / 307 / 384 भादवि व 3 / 25 आम्स एकट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- जनपद सीतापुर/थाना हरगाँव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगाँव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376क / 328 भादवि व 6 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- जनपद बागपत/थाना बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2) पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त फिरोज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- जनपद इटावा/थाना ऊसराहार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना ऊसराहार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम / 6 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त अनुज कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद उन्नाव/थाना माखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना माखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 342 भादवि व 3/4 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त काका को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
